न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस

पत्रावली संख्याः— 18/2015/निगरानी

1 सुवालाल (मृत)
1/1 श्रीमती कमलेश स्त्री स्व0 सुवालाल
1/2 राजदीप सिंह पुत्र स्व0 सुवालाल
1/3 विकास पुत्र स्व0 सुवालाल } नाबालिग जरिये संरक्षिका कमलेश स्वयं
1/4 ममता पुत्री स्व0 सुवालाल
समस्त जाति यादव निवासी खटकड़ तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

निगरानीकर्ता

बनाम

1 जगदीश प्रसाद पुत्र श्री भंवरलाल यादव निवासी खटकड़ तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
2 जगदीश प्रसाद पुत्र श्री कानाराम यादव निवासी खटकड़ तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
3 ग्राम पंचायत खटकड़ जरिये सरपंच तहत पंचायत समिति नीमकाथाना जिला सीकर
4 प्रशासन स्थायी समिति पंचायत समिति नीमकाथाना जिला सीकर

गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्व आदेश प्रशासन स्थायी समिति पंचायत समिति नीमकाथाना दिनांक 12.01.2004

वकील प्रार्थी श्री लक्ष्मणसिंह सुण्डा
वकील अप्रार्थी श्री शिवदयाल यादव

निर्णय **दिनांकः—25.09.2019**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व उसके पिता बंशीधर तथा उसके भाईयों ने खातेदारी कृषि भूमि की 5 बीघा भूमि व आबादी भूमि की 1 बीघा कच्ची जमीन 2 लाख रूपये में प्रार्थी सं0 2 जगदीश प्रसाद पुत्र कानाराम यादव निवासी खटकड़ से खरीदी थी तथा प्रार्थी सं0 2 जगदीश प्रसाद पुत्र कानाराम यादव ने प्रार्थी उसके पिता व भाईयों से दो लाख रूपये नकद प्राप्त कर अपनी 5 बीघा खातेदारी की भूमि व एक बीघा कच्ची आबादी की भूमि वाके खटकड़ का कब्जा प्रार्थी, उसके पिता व भाईयों को सम्भला दिया था एवं प्रार्थी सं0 2 जगदीश प्रसाद पुत्र कानाराम जाति यादव ने हरीनारायण पुत्र श्री गणपतलाल अहीर नि0 खटकड़ से एक लिखावट तहरीर करवाकर प्रार्थी सं0 2 जगदीश प्रसाद पुत्र कानाराम जाति यादव ने उक्त लिखावट पर अपने दस्तख्त कर दिये तथा उक्त लिखावट पर सरपंच कमलादेवी ने अपने हस्ताक्षर कर मोहर लगा दी। प्रार्थी व उसके भाईयों ने उनके द्वारा प्रार्थी सं0 2 जगदीश प्रसाद पुत्र कानाराम से खरीदी गयी आबादी की एक बीघा कच्ची जमीन के तीन पट्टे प्राप्ति बाबत ग्राम पंचायत खटकड़ में प्रार्थना पत्र पेश

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खटकड़ के उक्त संकल्प सं0 4 दिनांक 30.9.1999 की पालना में दिनांक 1.10.1999 को प्रार्थी के नाम पट्टा जारी कर दिया। इस प्रकार प्रार्थी उक्त पट्टाशुदा भूमि का मालिक है एवं उक्त प्लॉट पर काबिज है एवं उक्त प्लॉट पर प्रार्थी का रिहायशी सामान पड़ा हुआ है तथा प्रार्थी के पत्थर पड़े है तथा प्रार्थी की लकड़िया/ईधन पड़ा है । जगदीश प्रसाद पुत्र कानाराम प्रार्थी सं0 2 ने, प्रार्थी व प्रार्थी के पिता व भाईयों को नाजायज नुकसान पहुंचाने की नियत से तथा प्रार्थी सं0 1 जगदीश प्रसाद पुत्र भंवरलाल जाति यादव को नाजायज फायदा पहुँचाने की नियत से प्रार्थी सं0 2 ने जगदीश प्रसाद पुत्र भंवरलाल के भाईयों से मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचकर पीछे की तारीख में दिनांक 18.08.1999 को प्रार्थी व उसके पिता व भाईयो को बेची गयी आबादी की एक बीघा कच्ची भूमि को बाडा बताकर 25 रूपये के स्टाम्प पर एक लिखा पढी प्रार्थी सं01 जगदीश प्रसाद पुत्र भंवरलाल के हक में करवा दी गई। इस प्रकार प्रार्थी सं0 1 जगदीश पुत्र भंवरलाल जाति यादव ने व उसके भाईयो ने व हरीनारायण पुत्र गणपतलाल अहीर ने तथा प्रार्थी सं0 2 जगदीश पुत्र कानाराम ने षडयंत्र दिनांक 18.08.1999 को उक्त कूटरचित दस्तावेज तैयार किया एवं दिनांक 23.03.2000 को प्रार्थी के पट्टे को खारिज करवाने के लिये एक मियाद बाहर अपील जगदीश पुत्र भंवरलाल यादव ने पंचायत समिति नीमकाथाना में पेश कर दी। प्रार्थी को उक्त कूटरचित दस्तावेज दिनांक 18.08.1999 का ज्ञान होने पर प्रार्थी ने दिनांक 27.03.2000 को एक इस्तगासा प्रार्थी सं0 1 के, उसके भाईयों के तथा प्रार्थी सं0 2 व हरीनारायण पुत्र गणपतलाल अहीर के खिलाफ, न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजि0 नीमकाथाना के यहां दफा 420, 467, 468, 471, 120 बी आईपीसी के तहत पेश किया जो माननीय अति0 चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट नीमकाथाना द्वारा दफा 56 (3) जा0 फौ0 के तहत वास्ते दर्ज करने मुकदमाए ए0एच0ओ0 अजीतगढ़ को भेजा गया। ग्राम खटखड़ द्वारा सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया अपनाने के बाद दिनांक 30.09.1999 को प्रार्थी के हक मे पट्टा जारी करने का निर्णय लिया था तथा दिनांक 1.10.1999 को सही पट्टा प्रार्थी को जारी किया गया था। प्रार्थी ने अपनी खरीद की हुयी आबादी भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत से प्राप्त किया है। प्रार्थी की भूमि से प्रार्थी सं0 1 जगदीश प्रसाद पुत्र भंवरलाल यादव का कोई ताल्लुक नहीं है। उक्त भूमि पर जगदीश प्रसाद पुत्र भंवरलाल का कोई भी कब्जा नहीं है। प्रार्थी का पट्टा खारिज करने के पूर्व प्रशासन स्थायी समिति पं0स0 नीमकाथाना द्वारा प्रार्थी को सुनवाई को कोई मौका नहीं दिया गया तथा न ही प्रार्थी को कोई दस्तावेजात व सबूत पेश करने का मौका नही दिया गया। प्रशासन स्थायी समिति पं0स0 नीमकाथाना द्वारा मौका तक भी नहीं देखा गया तथा ग्राम पंचायत की पत्रावली का भली प्रकार अवलोकन नहीं किया गया। प्रार्थी की मियाद बाहर अपील को स्वीकार करने में प्रशासन स्थायी समिति पं0स0 नीमकाथाना ने कानूनी भूल की है। इसलिये भी फैसला प्रशासन स्थायी समिति पं0स0 नीमकाथाना निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी, उसके पिता व भाईयो द्वारा जगदीश पुत्र कानाराम यादव से आबादी भूमि से खरीद की गयी एक बीघा कच्ची भूमि मे से प्रार्थी ने 57 फिट गुणा 77 फिट का पट्टा ग्राम पंचायत से प्राप्त किया जो ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत दिया गया था। प्रशासन स्थायी समिति पं0स0 नीमकाथाना ने गलत आधार बनाकर प्रार्थी का पट्टा खारिज किया है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर प्रशासन स्थायी समिति पंचायत समिति नीमकाथाना द्वारा दिनांक 12.01.2004 को पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे एवं प्रार्थी के नाम ग्राम पंचायत खटकड़ द्वारा अपनी बैठक दिनांक 30.09.1999 के द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 4 की अनुपालना में जारी किया गया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि ग्राम पंचायत खटकड़ द्वारा प्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया पट्टा गलत रूप से जारी किया गया है। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व न तो ग्राम पंचायत द्वारा मौका देखा गया एवं ना ही आपत्ति नोटिस जारी किया गया। उक्त पट्टा शुदा भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा होने के बावजूद गलत रूप से उक्त पट्टा प्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया है। उक्त पट्टे के सम्बंध में प्रशासन स्थायी समिति पंचायत समिति नीमकाथाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.01.2004 यथावत रखा जावे एवं निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत खटकड़ द्वारा प्रार्थी सुवालाल यादव पुत्र बंशीधर यादव निवासी खटकड़ के पक्ष में पट्टा संख्या 1 दिनांक 12.08.1999 को जारी किया गया जिसके पूर्व में आम रास्ता एवं उत्तरी भाग में रामकुमार एवं दक्षिणी भाग में कालू का मकान, पश्चिम में गुमाना राजू की काश्त भूमि, उत्तर में कैलाशचन्द्र एवं पप्पूलाल पुत्रगण बंशीधर का बाड़ा एवं दक्षिण में सुरजमल एवं कालूराम का बाड़ा अंकित कर रखा है। उक्त पट्टे के विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा न्यायालय प्रशासन स्थायी समिति पंचायत समिति नीमकाथाना के समक्ष अपील पेश करने पर न्यायालय प्रशासन स्थायी समिति पंचायत समिति नीमकाथाना द्वारा निर्णय दिनांक 12.01.2004 पारित कर अंकित किया है कि "ग्राम पंचायत खटकड़ की बैठक दिनांक 30.09.1999 को सुवालाल/बंशीधर यादव निवासी खटकड़ की आवासीय भूमि की पत्रावली सलंग्न दस्तावेजों के कोरम फैसला हेतु पेश हुई। बैठक में 200/– रूपये नजराना लेकर प्रार्थी को प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 30.09.1999 के द्वारा पट्टा जारी करने का निर्णय पारित हुआ एवं पट्टा संख्या 1 दिनांक 01.10.1999 को जारी किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि पट्टा हेतु समस्त कागजात पंचायत की बैठक दिनांक 30.09.1999 को एक साथ दस्तावेज सलंग्न करके पट्टा प्राप्त करने हेतु कोरम के समक्ष पेश किये गये। पट्टा जारी करने की प्रकिया नहीं अपनायी गयी, न ही मौका देखा गया प्रतीत होता है और ना ही आपत्ति नोटिस जारी करना प्रतीत होता है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन करने पर मौके पर जगदीश के पत्थर पड़े होने तथा मौके पर जगदीश का कब्जा होना अंकित है। वर्तमान सरपंच श्री रूड़मल यादव ने मौके पर बताया कि कब्जा श्री जगदीश प्रसाद/भंवरलाल का ही है। जमीन में जगदीश के पत्थर पड़े हुये है। पत्रावली पर उपलब्ध लाडादेवी के शपथ पत्र में बताया गया है कि ग्राम पंचायत खटकड़ द्वारा जारी किया गया पट्टा संख्या 1/99 सुवालाल पुत्र बंशीधर यादव निवासी ढ़ाणी नवोड़ा ग्राम खटकड़ के लिये पंचगणों द्वारा किया गया मौका निरीक्षण एवं रिपोर्ट के आधार पर जारी किये गये पट्टे मे अपने हस्ताक्षर फर्जी किये बताये है। कालुराम पुत्र नाथूराम जांगीड़ निवासी खटकड़ ने शपथ पत्र में बताया है कि पट्टा संख्या 1/99 में साक्षी संख्या 2 पर करवाये गये हस्ताक्षर मेरी अनभिज्ञता में खाली आबादी विक्रय विलेख पर करवाये गये है। मैंने अपने हस्ताक्षर पंचायत में नहीं किये, सरपंच के घर पर हस्ताक्षर किये। अतः पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् सदन इस निर्णय पर पहुंचता है कि पट्टा प्रकिया अपनाये बिना पट्टा की सम्पूर्ण प्रकिया एक दिन में ही अपना कर पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार गलत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 30.09.1999 में पारित निर्णय के प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 30.09.1999 के द्वारा जारी किया गया पट्टा संख्या 1 दिनांक 01.10.1999 निरस्त किया जाता है।" पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन करने पर ग्राम पंचायत खटकड़ द्वारा प्रार्थी के पक्ष में

Web Copy - Not Official

संख्या 1 विधिवत प्रक्रिया की पालना नहीं कर गलत रूप से जारी किया गया है। न्यायालय प्रशासन स्थायी समिति पंचायत समिति नीमकाथाना द्वारा गलत रूप से जारी किये गये पट्टे के सम्बंध में विस्तृत व्याख्या करते हुए पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर